तराली परियोजना: ऊर्जा और वन्यजीव शर्तें

प्रकाशित: 13 नवंबर 2026 · pcsmantra.com



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों?

महाराष्ट्र के सतारा जिले की 1,500 मेगावाट तराली पंप्ड-स्टोरेज परियोजना की घोषित लागत में बड़े संशोधन और संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि पर प्रश्न उठे हैं। उपलब्ध समाचार-रिपोर्ट में केंद्र द्वारा प्राथमिकता से जांच करने के निर्देश का उल्लेख है। जांच का आदेश किसी अनियमितता का अंतिम निर्णय या दोषसिद्धि नहीं है। परीक्षा के लिए मुख्य विषय ऊर्जा भंडारण की उपयोगिता और पर्यावरणीय शर्तों की स्वतंत्र जांच है।

आधिकारिक दस्तावेज क्या बताता है?

11 फरवरी 2025 के पर्यावरणीय स्वीकृति-पत्र में परियोजना को तराली ओपन-लूप पंप्ड-स्टोरेज परियोजना बताया गया है। यह पर्यावरण मंत्रालय का पत्र है, जिसकी प्रति परियोजना कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

तथ्य	स्वीकृति-पत्र में स्थिति
क्षमता	1,500 मेगावाट
स्थान	पाटण तहसील, सतारा जिला, महाराष्ट्र
गांव	निवाडे, टोंडोशी, कलंबे और जालू
परियोजना क्षेत्र	150.74 हेक्टेयर
उस समय अनुमानित लागत	₹5,675 करोड़
निकट के संरक्षित क्षेत्र	सह्याद्रि टाइगर रिजर्व और कोयना वन्यजीव अभयारण्य

पत्र में किसी परियोजना घटक के अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र के भीतर न होने की बात है। साथ ही, उस समय पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना न होने के कारण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से वन्यजीव स्वीकृति की जरूरत भी दर्ज है। इसलिए 'संरक्षित क्षेत्र के बाहर' का

अर्थ 'वन्यजीव शर्तों से पूरी छूट' नहीं है।

संरक्षण-जमा पर विवाद

13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के बाद के शपथपत्र में लागत ₹56.75 करोड़ बताई गई, जबकि पुराने पर्यावरणीय स्वीकृति-पत्र में ₹5,675 करोड़ है। रिपोर्ट में लागत-आधारित संरक्षण-जमा पर इस बदलाव के असर और 6 नवंबर को मंत्रालय के जांच-निर्देश का उल्लेख है।

प्रमाण की सीमा: पुरानी ₹5,675 करोड़ लागत का मूल स्वीकृति-पत्र उपलब्ध है। नए शपथपत्र और जांच-निर्देश की मूल प्रतियां इस लेख के लिए नहीं मिलीं। इसलिए बाद की घटनाएं समाचार-रिपोर्ट में वर्णित जांच-विषय के रूप में दी गई हैं, स्वतंत्र रूप से सिद्ध अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं। लागत कैसे तय हुई और संबंधित शर्त कैसे लागू हुई, इसका उत्तर जांच से स्पष्ट होगा।

सामान्य नियम न बनाएं: किसी विशेष परियोजना में संरक्षण के लिए लगाई गई लागत-संबद्ध जमा-शर्त को हर भारतीय ऊर्जा परियोजना पर लागू समान राष्ट्रीय दर नहीं समझना चाहिए।

पंप्ड-स्टोरेज कैसे काम करता है?

भंडारण: बिजली उपलब्ध होने पर पानी निचले जलाशय से ऊंचे जलाशय में पंप किया जाता है। जरूरत के समय पानी नीचे छोड़ा जाता है और टरबाइन से बिजली बनाई जाती है। इस तरह विद्युत ऊर्जा पानी की ऊंचाई से जुड़ी स्थितिज ऊर्जा में रखी जाती है।

ऊर्जा का स्रोत नहीं: पूरे चक्र में पंपिंग और उत्पादन के दौरान ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए यह बिना बाहरी ऊर्जा के लगातार शुद्ध बिजली पैदा करने वाली व्यवस्था नहीं, ऊर्जा भंडारण और समय के अनुसार आपूर्ति का साधन है।

ओपन-लूप: ऐसी पंप्ड-स्टोरेज व्यवस्था का प्राकृतिक जल-तंत्र से संबंध होता है। तराली परियोजना का आधिकारिक नाम ओपन-लूप है; इसे बिना जांच बंद-लूप परियोजना नहीं कहा जाए।

तीन मंजूरियां, अलग सवाल

- **पर्यावरणीय स्वीकृति:** पर्यावरणीय प्रभावों और प्रबंधन-शर्तों का आकलन करती है।
- **वन-संबंधी स्वीकृति:** जहां वन भूमि का गैर-वन उपयोग शामिल हो, वहां संबंधित कानून और प्रक्रिया का प्रश्न उठता है।
- **वन्यजीव स्वीकृति:** संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव-संरक्षण से जुड़े प्रभावों व शर्तों का अलग परीक्षण हो सकता है।

मूल स्वीकृति-पत्र स्पष्ट करता है कि पर्यावरणीय स्वीकृति अन्य कानूनों के तहत जरूरी अनुमतियों का विकल्प नहीं है। गैर-वन या निजी भूमि पर काम होने का दावा अकेले सभी पर्यावरणीय दायित्व समाप्त नहीं करता।

आगे की राह

ऊर्जा भंडारण का विस्तार जरूरी हो सकता है, लेकिन उसकी पर्यावरणीय लागत पारदर्शी और सत्यापन-योग्य होनी चाहिए। लागत-आधारित शर्तों में मूल्यांकन-पद्धति, संशोधन के कारण और जमा की गणना सार्वजनिक जांच के योग्य हों। यही स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर भरोसे और संरक्षण दोनों के लिए उपयोगी है।

> **संबंधित लेख:** बांध-विरोध की दूसरी बड़ी लड़ाई पढ़ें: [सियांग बांध विरोध क्यों थम नहीं रहा?]

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न